काले =काल में; **च** =तथा; **पात्रे** =पात्र को; **च** =तथा; **तत्** =वह; **दानम्** =दान; **सात्त्विकम्** = सात्त्विक; **स्मृतम्** =कहा जाता है।

अनुवाद

दान देना कर्तव्य है, इस बुद्धि से योग्य देश-काल में सत्पात्र को प्रत्युपकार की इच्छा के बिना जो दान दिया जाता है, वह सात्त्विक है।।२०।।

तात्पर्य

वैदिक शास्त्रों में परमार्थ-परायण मनुष्य को दान देने का विधान है। अविवेकपूर्वक दान करना शास्त्र-सम्मत नहीं है। दान करते समय लेने वाले की पारमार्थिक पूर्णता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। शास्त्र के अनुसार तीर्थ में, सौर-चन्द्र-ग्रहण में, मन्दिर में, अथवा पौर्णमासी के दिन सदाचारी ब्राह्मण अथवा वैष्णव को दान देना चाहिए। दान प्रत्युपकार की इच्छा के बिना ही करे। कभी-कभी मनुष्य दयाभाव से द्रवित होकर दरिद्रों को दान देता है; परन्तु यदि कोई दरिद्र मनुष्य उसका पात्र नहीं है, तो ऐसे दान से किसी को भी पारमार्थिक लाभ नहीं होगा। भाव यह है कि पात्र-अपात्र का विचार किये बिना दान देना वैदिक शास्त्रों द्वारा सम्मत नहीं है।

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः।
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्।।२१।।

यत् =जो; **तु** =परन्तु; **प्रत्युपकारार्थम्** =प्रत्युपकार के लिए; **फलम्** =फल को; **उद्दिश्य** =चाहते हुए; **वा** =अथवा; **पुनः** =फिर; **दीयते** =दिया जाता है; **च** =तथा; **परिक्लिष्टम्** =पश्चात्ताप के साथ; **तत्** =वह; **दानम्** =दान; **राजसम्** =राजस; **स्मृतम्** = कहा गया है।

अनुवाद

परन्तु जो दान किसी प्रत्युपकार की आशा से अथवा फल की इच्छा से या क्लेश समझकर दिया जाता है, वह राजस कहा गया है।।२१।।

तात्पर्य

दान प्रायः स्वर्ग-प्राप्ति के लिए किया जाता है। कभी-कभी क्लेशपूर्वक दान करने के बाद पश्चात्ताप भी होता है कि ''मैंने क्यों इसमें इतना धन व्यय किया?'' कभी-कभी किसी उपकृतिवश अथवा गुरुजनों की आज्ञा से भी दान करना पड़ता है। ये सब प्रकार के दान राजस हैं।

ऐसी अनेक दातव्य न्यास हैं, जो उन संस्थाओं को दान देती हैं, जहाँ इन्द्रियतृप्ति चलती है। ऐसा दान वेद-विरुद्ध है। एकमात्र सात्त्विक दान का ही शास्त्रों में विधान है।

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्।।२२।।